सं0-73/XXVIII-4-2006-22/2005

प्रेषक,

अतर सिंह,
उप सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा मे,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तरांचल देहरादून

चिकित्सा अनुभाग-4

देहरादूनः दिनांक : 24 मार्च, 2006

विषयः सामु0स्वा0केन्द्र चम्बा, जनपद टिहरी के भवन निर्माण की स्वीकृति विषयक ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण के पत्र सं0-7प/1/सी0एच0सी/45/2005/3496 दिनांक 30.01.2006 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय द्वारा सामु0स्वा0केन्द्र चम्बा जनपद टिहरी के भवन निर्माण कार्य हेतु रू0 1,39,97,000.00(रू0 एक करोड़ उनचालीस लाख सत्तायानबे हजार मात्र) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष में संलग्न बी0एम0-15 में उल्लिखित विवरणानुसार अनुदानान्तर्गत उपलब्ध बचतों के व्ययवर्तन द्वारा रू0 30,00,000.00 (रू0 तीस लाख मात्र) की धनराशि के व्यय की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

1- एकमुश्त प्राविधानों को कार्य से पूर्व विस्तृत प्रस्ताव बनाकर सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त की जायेगी ।

2- कार्य कराते समय लो0 नि0 विभाग के स्वीकृत विशिष्टियों के अनुरूप कार्य कराये तथा कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाये । कार्य की गुणवत्ता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण एजेन्सी का होगा ।

3- भूमि उपलब्ध होने के पश्चात ही धनराशि तत्काल आहरित की जायेगी तथा तत्पश्चात निर्माण इकाई परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम को उपलब्ध करायी जायेगी । स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में इसी वित्तीय वर्ष के भीतर सुनिश्चित किया जायेगा ।

4- स्वीकृत धनराशि के आहरण से संबंधित बाऊचर संख्या एंव दिनांक की सूचना तत्काल उपलब्ध कराई जायेगी तथा धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित प्रावधानों में बजट मैनुअल तथा शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चत किया जायेगा ।

5- आगणन में उल्लेखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों में जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नही है अथवा बाजार भाव से भी ली गयी हो, की स्वीकृत नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता को अनुमोदन आवश्यक होगा ।

6- कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन / मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय ।

7- कार्य पर उतना ही व्यय किया जायेगा जितना कि स्वीकृत मानक है । स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाय ।

8- एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

9- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एंव लोक निमार्ण विभाग द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करे ।

10- कार्य करने से पूर्व स्थल का भली-भांति निरीक्षण उच्चधिकारियों एवं भुगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा ले । निरीक्षण के पश्चात आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाये ।

11- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय । निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से परीक्षण करा ली जाय, उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए ।

प्रारूप पर प्रशासन को उपलब्ध करायी जायेगी । यह भी स्पष्ट किया जायेगा कि इस धनराशि से निर्माण का कौन सा अंश पूर्णतया निर्मित किया गयाहै

13- निर्माण के समय यदि किसी कारण वश यदि परिकल्पनाओं / विशिष्टियों में बदलाव आता है तो इस दशा में शासन की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी ।

14- निर्माण कार्य से पूर्व नींव के भू-भाग की गणना आवश्यक है, नींव के भू-भाग की गणना के आधार पर ही भवन निर्माण किया जाय ।

15- उक्त भवनों के कार्यो को शीघ्र प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाए ताकि लागत पुनरीक्षित करने की आवश्यकता न पडें ।

16- उक्त व्यय वर्ष 2005-06 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या -12 के लेखाशीर्षक 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत, 02-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें, 104-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 0302-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण(विस्तार अंश), 24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा तथा संलग्न बी0एम0-15 के कॉलम-1 की बचतों से वहन किया जाएगा।

17- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0-966/वित्त अनुभाग-3/2005 दिनांक 09.03.2006 मे प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे है ।

भवदीय,

(अतर सिंह)
उप सचिव

सं0-73(1)/XXVIII-4-2006-22/2005 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उत्तरांचल, माजरा देहरादून ।
2- निदेशक, कोषागार, उत्तरांचल ,देहरादून।
3- कोषाधिकारी, टिहरी / देहरादून ।
4- जिलाधिकारी, टिहरी ।
5- मुख्य चिकित्साधिकारी, टिहरी ।
6- परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, उत्तरांचल ।
7- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री ।
8- बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय सचिवालय, देहरादून ।
9- वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग-3/ नियोजन विभाग / एन0आई0सी0 ।
10- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
उप सचिव

शासनादेश सं0-73/XXVIII-4-2006-22/2005 दिनांक 24.03.2006 का संलग्नक

(धनराशि लाख रू0 में)

क.सं0	कार्य का नाम	अनुमोदित लागत	वर्ष 2005-06 में स्वीकृत धनराशि
1	2	3	6
1	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चम्बा जनपद टिहरी का भवन निर्माण।	139.97	30.00
	योग	139.97	30.00

(रू0 तीस लाख मात्र)

(अतर सिंह)
उप सचिव

शासनादेश सं0-73/xxviii-4-2006-22/2005 दिनांक 24.3.2006 का संलग्नक

प्रशासनिक विभाग चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (वित्तीय वर्ष 2005-06)

प्रस्तर - 158 अनुदान संख्या-12

बी0एम0-15

नियंत्रक अधिकारी : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तरांचल देहरादून ।

पुर्नविनियोजन का आवेदक पत्र (हजार रूपये में)

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण (मानक मद)	मानक मद्वार अध्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष (सरप्लस) धनराशि	लेखाशीर्षक जिनमें धनराशि को स्थानान्तरित किया जाना है (मानक मद)	पुर्न-विनियोजन के बाद के स्तम्भ-5 की कुल धनराशि	पुर्न-विनियोजन के बाद अवशेष धनराशि (1-5)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय- आयोजनागत				4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत			(क) योजनान्तर्गत धनराशि की आवश्यकता न पड़ने के कारण । (ख) बजट प्राविधान पर्याप्त न होने के कारण ।
01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें				02-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें			
110-अस्पताल तथा औषधालय				104-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र			
10-नये जनपद बागेश्वर चम्पावत तथा रूद्रप्रयाग में जिला चिकित्सालय का निर्माण				0302-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण(विस्तार अंश)			
24-वृहत निर्माण कार्य-30000	3937.50	16000	10062.50 (क)	24-वृहत निर्माण कार्य-3000 (ख)	53000	27000	
योग- 30000	3937.50	16000	10062.50	3000	53000	27000	

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पुर्नविनियोजन में बजट मैनुअल के परिच्छेद 150,151,155,156 में उल्लिखित प्रतिबन्धों एवं सीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है ।

(अतर सिंह)
उप सचिव